न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा। (J.O. Code-UP3845)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2207/2026
CNR No.:-UPSP010057592026

आजम पुत्र साजिद, निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

– – – – प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

– – – – – विपक्षी।

मु0अ0सं0–298/2026
धारा–69 भा0न्या0संहिता
थाना–देवबन्द
जिला–सहारनपुर।

दिनांकः–05–06–2026

आवेदक/अभियुक्त आजम की ओर से मु०अ०सं०–298/2026, धारा–69 भा0न्या0संहिता, थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र/तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द, सहारनपुर पर अभियुक्त आजम व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2), 74, 115(2), 351(3) भा0न्या0संहिता के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई एवं बाद में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त आजम के विरूद्ध धारा–69 भा0न्या0संहिता की वृद्धि की। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिया/पीड़िता का कथन है कि, ''दिनांक 26/4/26 8.30 पी0एम0 मेरी मौसी के घर पर शादी थी। मेरा और मेरी मौसी का मकान थोडे फैसले पर है। विदाई का समय था, उस वक्त मैं अपने घर सामान लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में मुझे पकड़ा (आजम पुत्र साजिद) और पीछे से मेरे पिता जी भी आ रहे थे। ये सब देखकर मेरे पास आए और देखा कि मुझे पकड रखा है और उन्होने बोला तो मेरे पिता जी के साथ भी मार पिटाई शुरू कर दी। लड़ाई के दौरान शोर सुनकर मेरे परिवार वाले बाहर आए ठोडने के लिए, जब तक बहुत चोट मार चुके थे और मेरे पिताजी बेहोस हो चुके थे। मारने वाले साजिद, जुनैद, जुबैर, आजम, आमिर एवं महारना ये सब थे। 13/2/26 को भी मैं एक तहरीर दे चुकी हूँ जिसमें मेरे साथ पहले भी बलात्कार किया था और उसका फैसला गांव के कुछ आदमियों ने 14/2/26 में रणखण्डी चौकी में कराया था। आज की घटना से पहले भी कई बार मारने की दमकी दी और बंदूक से भी डराया है और घर पर मारने की चढाई की।''

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में जो तर्क प्रस्तुत किया गया है उसका सार संक्षेप में यह है कि, ''प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। जिस प्रकार से अभियोजन पक्ष द्वारा घटना घटित होना कहा है वह विश्वसनीय नहीं

है और उपरोक्त वाद की तथाकथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध किसी भी किस्म का नहीं बनता है। वादी द्वारा उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन बाद कानूनी मशवरे से झूठी घटना दर्शाकर दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। वादनी द्वारा थाना देवबन्द पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 30.04.2026 को धारा 191(2), 115(2), 74, 351(3) बी०एन०एस० में पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त मुकदमें की वादनी के पिता नौशाद व परिवार के चाचा शहजाद, चांद, मुदस्सिर ने दिनांक 26.04.2026 को रात्रि 9:00 बजे प्रार्थी के मकान के अन्दर घुसकर प्रार्थी के चाचा जुनैद व प्रार्थी की माता के साथ मारपीट की थी और महराना व साजिद व जुनैद के साथ मारपीट की थी और महराना के साथ अश्लील हरकते करते हुये छेडछाड की थी और इसके अलावा उसी दिनांक को जान से मारने की नियत से प्रार्थी के पिता साजिद व जुनैद के साथ मारपीट की थी और लूटपाट की थी और जुनैद के सिर की हडडी तोड दी थी, जिसमें आई चोटो के कारण जुनैद सरकारी अस्पताल सहारनपुर में कई दिन भर्ती रहा और उसके सिर में फ्रैक्चर पाया गया, इस घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी जुनैद ने वादनी के परिवार के नौशाद आदि के खिलाफ थाना देवबन्द पर दिनांक 26.04.2026 को ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर नौशाद आदि के खिलाफ थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 299 सन 2026 अ० धारा 115(2), 74, 304 (2), 351(3), 110 बी०एन०एस० आदि थाना देवबन्द पर दर्ज है, इस मुकदमें से बचने के लिये झूठी घटना बनाकर यह मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध थाना देवबन्द पर झूठा दर्ज कराया गया है। उपरोक्त वाद में धारा 69 बी०एन०एस० आदि अन्य धाराओ का कोई अपराध प्रार्थी के विरूद्ध नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय, न्यायालय जे०एम० देवबन्द में वांछित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उपरोक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा वांछित आख्या धारा 191(2), 115(2), 74, 351 (3) बी0एन0एस० में प्रस्तुत करने पर प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष आत्समर्पण किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिनांक 05.05.2026 को धारा 191(2), 115(2), 74, 351(3) बी०एन०एस० में दौरान वाद विचारण रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त वाद में जमानत पर है। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने बिना किसी साक्ष्य के बाद में गलत व विधि विरूद्ध रूप से धारा 69 बी०एन०एस० की वृद्धि कर दी है, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध धारा 69 बी०एन०एस० का कोई अपराध नहीं बनता है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी के विरूद्ध है। इसी कारण प्रार्थी उपरोक्त वाद में धारा 69 बी०एन०एस० में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मुकदमें की विवेचना में सहयोग किया जा रहा है और प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात से कोई जमानत का दुरूपयोग प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है और प्रार्थी भविष्य में भी विवेचना व वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी पूर्व सजायाफता है। प्रार्थी का स्थायी निवास है तथा प्रार्थी के अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने से प्रार्थी के कहीं भागने या गवाहान, सबूत तोडने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के पश्चात अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नही करेगा बल्कि न्यायालय के आदेश का पूर्ण पालन करेगा और वाद के दौरान विचारण नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और प्रार्थी धारा 482 भा०ना०सु०सं० में मान्य न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तो का नियमित रूप से पालन करेगा। प्रार्थी मान्य न्यायालय के आदेशानुसार जमानत देने को तैयार है।'' अतः अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त आजम के विरूद्ध वादिया/पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने का आक्षेप है।

अभियुक्त आजम व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–191(2), 74, 115(2), 351(3) भा0न्या0संहिता के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई एवं उपरोक्त मुकदमें के विवेचक द्वारा वांछित आख्या धारा 191(2), 115(2), 74, 351 (3) बी0एन0एस० में प्रस्तुत करने पर प्रार्थी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष आत्समर्पण करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 05.05.2026 के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त आजम को धारा 191(2), 115(2), 74, 351(3) बी०एन०एस० में दौरान वाद विचारण रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त वाद में जमानत पर है। जिसके पश्चात् विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त आजम के विरूद्ध धारा–69 भा0न्या0संहिता की वृद्धि की गयी।

केस डायरी में अंकित पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता ने अभियुक्त आजम के चार साल से प्रेम प्रसंग चलने का उल्लेख किया है एवं घटना दिनांक 26.04.2026 को अभियुक्त आजम द्वारा मात्र हाथ पकड़कर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी तहरीर एवं बयान अंतर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त आजम द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने का उल्लेख नही किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने घटना दिनांक 26.04.2026 को होना बताया है एवं उसकी तहरीर 04 दिन के विलम्ब से दिनांक 30.04.2026 को दर्ज करायी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभियुक्त आजम के विरूद्ध धारा–191(2), 115(2), 74, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त आजम न्यायालय के आदेश दिनांकित 05.05.2026 के द्वारा उपरोक्त धाराओं में जमानत पर है। इस स्तर पर दौरान विवेचना एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त/आवेदक पर धारा–191(2), 115(2), 74, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में अपराध कारित करने का आक्षेप है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है और ना ही ऐसा कोई आधार प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त/आवेदक को अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs CBI and others 2023 LL (SC) 233** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> It is the duty of public prosecutor also to plead correct legal position before the Court as officers of the Court. We would like to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail after all is one of the species of a bail.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था में पारित किये गये आदेश के अनुपालन में तथा मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आजम** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सशर्त स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त आजम अंकन **1,00,000/– (एक लाख रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक प्रतिभू,** संबंधित न्यायालय की संस्तुति के अनुरूप अन्दर 15 दिन प्रस्तुत करने पर, पुलिस रिपोर्ट अंतर्गत 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यदि सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल की जाती है, तो उस समय तक के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त पुलिस जांच अधिकारी/विवेचक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेंगा। न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अपराध से सम्बन्धित तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा। यदि आवेदक/अभियुक्त के पास पासपोर्ट है तो वह, उसे एस०एस०पी०, सहारनपुर के पास जमा करायेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित विवेचक, आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–05–06–2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम
सहारनपुर।
(ID No.-UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.10 10:52:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court